सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के अध्याय – 2 की धारा–4 (1) ख (7)

मैनुअल संख्या – 7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं।

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियाँ बरती गयी हैं, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो कृपया महाप्रबन्धक (एमडीओ), कार्यालय, यूजेवीएन लिमिटेड, उज्जवल, महारानी बाग, जीएमएस रोड, देहरादून पिन–248006 को डाक अथवा ई–मेल vivek.atreya@ujvnl.com पर सूचित करें।

मैनुअल – 7

पालिसी निर्माण या उसके लागू करने से सम्बन्धित प्रचलित व्यवस्था का विवरण

यूजेवीएन लिमिटेड एक वाणिजिक संस्था है तथा इसके नियम कानून इसके आंतरिक प्रशासन द्वारा बनाये जाते हैं। अतः ऐसी कोई व्यवस्था वर्तमान में यहॉ प्रचलित नहीं है जिसके द्वारा आंतरिक नीति–नियमों को बनाने से पूर्व जनता के प्रतिनिधियों से सलाह की जाय। निगम की समस्त नीतियों का निर्माण लागू विधियों, नीतियों तथा नियमों के अनुरूप ही होता है। फिर भी पालिसी बनाने एवं लागू करने सम्बन्धी प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित दो गतिविधियों में जनता की भागीदारी की व्यवस्था है।

1. उत्पादन टैरिफ का निर्धारण

विद्युत अधिनियम 2003 के प्राविधानों के अन्तर्गत UJVNL द्वारा उत्पादित विद्युत के उत्पादन टैरिफ का निर्धारण मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा किया जाता है। UERC द्वारा विद्युत उत्पादन टैरिफ तथा व्यापार इत्यादि के निर्धारण के लिए नियमावली बनाई गई है जिसमें आम जनता की भागीदारी को उचित स्थान दिया गया है।

2. नवीन जल विद्युत परियोजनायें

नई जल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं निर्माण के दौरान पर्यावरणीय स्वीकृति तथा परियोजना प्रभावितों के पुनर्वास सम्बन्धी स्कीम के निर्माण इत्यादि में प्रभावित जनता की समस्याओं तथा विचारों की जन सुनवाई की व्यवस्था की गई है।